राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com Phone No. 0141-2701596

क्रमांकः–राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 / 2173 दिनांक : 30/5/17

उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा समस्त सम्भाग।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

विषय :– पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक हेतु जारी विस्तृत दिशा–निर्देश

संदर्भ :– राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.15 (1) प्रा.शि. / 2017 / जयपुर / दिनांक 11.04.2017

राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम – 269 के उप–नियम (9) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों हेतु चिह्नित "राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को (सामान्यतः ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय) पंचायत रिसोर्स सेन्टर (PRC) एवं सम्बन्धित संस्था प्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)" नामित किया गया है।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्तव्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में क्र. प. 15 (1) प्रा.शि. / 2017 / दिनांक 11.04.2017 के पैरा 2.2.1 के अनुसार ग्राम पंचायत के समस्त राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की " प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन" पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में PEEO से सम्बद्ध विद्यालय में अनिवार्यतः किया जावेगा। PEEO संस्था प्रधानों की मासिक समीक्षा बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे--

1.0 शैक्षिक गुणवत्ता --

1.1 एसआईक्यूई कार्यक्रम की विद्यालयवार समीक्षा एव प्रगति पर चर्चा व आगामी कार्य योजना निर्माण।
1.2 कक्षा अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट अनुसार दिशा–निर्देशों की पालना।
1.3 कक्षावार विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर सुधार हेतु कार्य योजना निर्माण पर चर्चा।
1.4 विद्यालय के निर्धारित लक्ष्य अनुसार नामांकन एवं ठहराव समीक्षा।

www.rajteachers.com

2.0 विद्यालय निरीक्षण अनुपालना –

2.1 विद्यालय अवलोकन दौरान दिए गए निर्देशों की पालना।

2.2 मिड–डे–मिल कार्यक्रम की मासिक समीक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

2.3 विद्यालय क्षेत्राधिकार में शिक्षा से वंचित एवं ड्रापआउट बच्चों की शिक्षा से जुड़ाव बाबत समीक्षा।

2.4 विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की प्रगति (अवलोकन अनुसार)

2.5 निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के बिन्दुओं की पालना।

3.0 शैक्षिक प्रबन्धन / शैक्षिक पर्यवेक्षण

3.1 विद्यालयों में स्टाफ की उपलब्धता।

3.2 स्टाफ द्वारा शैक्षिक प्रगति हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा।

4.0 विद्यालय विकास योजना –

4.1 उत्कृष्ट विद्यालय योजना मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों की पालना।

4.2 शाला सिद्धि पोर्टल पर दर्ज विद्यालय विकास योजना बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए पालना करवाना।

4.3 विद्यालयवार आगामी माह की कार्य योजना निर्माण (शैक्षणिक गुणवत्ता एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु) आगामी माह की कार्य योजना का निर्माण।

4.4 विद्यालय विकास एवं आधारभूत सुविधाओं (कक्षा स्तर, पेयजल / शौचालय,चार दीवारी / विद्युत कनेक्शन / खेल मैदान / भवन हेतु भूमि आवंटन एवं खेल मैदान का विकास की समीक्षा एवं उपलब्धता हेतु प्रयास।

5.0 वित्तीय प्रबन्धन –

5.1 एसएसए द्वारा आवंटित विभागीय बजट उपयोग।

5.2 जनप्रतिनिधि / भामाशाह / दानदाताओं / सीएसआर से सहयोग प्राप्ति पर चर्चा।

5.3 एसएफसी / एफएफसी / मनरेगा इत्यादि राशि स्वीकृति की समीक्षा।

5.4 स्वैच्छिक विकास अनुदान।

6.0 विभागीय कार्यक्रम / गतिविधियों की समीक्षा

6.1 विभागीय गतिविधिवार प्रगति की समीक्षा।

6.2 एसएमसी सदस्यगण एवं अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।

7.0 पोर्टल एवं अन्य विभागीय सूचनाएं / एमपीआर –

7.1 एसएसए शाला दर्शन वैब पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज करना।

7.2 एसएसए को विभागीय सूचनाओं का सम्प्रेषण।

7.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं एमपीआर प्रेषित करना।

www.rajteachers.com

8.0 अभिप्रेरणा / नवाचार

8.1 विद्यालयों में किए गए नवाचारों पर चर्चा।

8.2 संस्था प्रधानो के साथ नवाचारों को साझा करना।

9.0 अन्य बिन्दु

प्रत्येक मासिक बैठक की सूचनाएँ संलग्न प्रपत्र में शाला दर्शन Portal पर पीईईओ लॉगिन से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र अ में ऑनलाइन अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

कमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 2174 दिनांक : 30/5/17

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रामाशिप,जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप,जयपुर।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए, समस्त जिले।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए, समस्त जिले।
10. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

www.rajteachers.com

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com Phone No. 0141-2701596

क्रमांकः–राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 / 2171 दिनांक : 30/5/17

उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त सम्भाग।
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

विषय :– पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हेतु विद्यालय अवलोकन के संबंध में जारी विस्तृत दिशा–निर्देश

संदर्भ :– राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.15 (1) प्रा.शि. / 2017 / जयपुर / दिनांक 11.04.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों के अवलोकन के संबंध में निम्नांकित भूमिका होगी –

विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रशासनिक एवं अकादमिक नेतृत्व व सम्बलन प्रदान करना है। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपनी सम्बन्धित ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों का एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पीईईओ के क्षेत्राधिकार से शेष रहे विद्यालयों का सघनता से एवं ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के अवलोकन हेतु उत्तरदायी होंगे। विद्यालय अवलोकन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं।

विद्यालय अवलोकन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. उद्देश्य –
   - विद्यालय के कमजोर पक्षों की जानकारी कर विद्यालय प्रशासन को सम्बलन प्रदान करना
   - विद्यालय में चल रही शिक्षण प्रक्रिया एवं शैक्षिक गतिविधियों को समझना एवं सम्बलन प्रदान करना।
   - सीसीई / एसआईक्यू कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
   - विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों की गुणवत्ता को समझना।
   - लक्ष्य अनुरूप कार्य नहीं करने वाले शिक्षकों / संस्था प्रधानों / विद्यालयों के प्रति आवश्यक कार्यवाही करना।
   - विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षिक स्थिति का जानकारी लेना।

www.rajteachers.com

2. अवधि –

- विद्यालय अवलोकन सत्र पर्यन्त एवं नियमित कार्य दिवस को किया जावें।
- पदेन पचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट विद्यालय का माह में एक बार एवं प्रारंम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का दो माह में एक बार मासिक कार्य योजना बनाकर प्रतिमाह विद्यालय अवलोकन करेंगे।
- विद्यालय अवलोकन निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

3. विद्यालय अवलोकन के संदर्भ में –

- जिला स्तर से किए जाने वाले कार्य

  - ➢ जिला स्तर पर विद्यालय अवलोकन के बाद भरे गए अवलोकन प्रपत्रों की रैण्डम सैम्पलिंग (10 प्रतिशत) के आधार पर जाँच की जावे। अधूरे प्रपत्रों एवं गलत भरे हुए प्रपत्रों को पूर्ण/ठीक करने हेतु संबंधित अवलोकनकर्ता को निर्देशित किया जावे। रैण्डम सैम्पलिंग जाँच में चयनित प्रपत्रों का रिकॉर्ड संधारित किया जाए। अवलोकन प्रपत्रों की जाँच के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति का गठन कर जाँच कार्य किया जावे।
  - ➢ जिला स्तर पर प्रतिमाह शाला दर्शन वेबपोर्टल पर उपलब्ध विद्यालय अवलोकन प्रपत्र के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को समेकित/विश्लेषित किया जाकर पोर्टल पर अपडेशन किया जावे। विश्लेषण के आधार पर जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार कर परिषद् मुख्यालय को भिजवाई जावे। रिपोर्ट के आधार पर न्यून उपलब्धि वाले ब्लॉक/विद्यालयों की स्थितियों में सुधार करने हेतु बीईईओ/पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रयास किये जावे।
  - ➢ उक्त समस्त कार्यो का समन्वयन जिला गुणवत्ता प्रभारी (एपीसी या पीए) द्वारा किया जाएगा।

- ब्लॉक स्तर से किए जाने वाले कार्य

  - ➢ ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का पंजीकरण शाला दर्शन वैब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जावे। साथ ही नवीन अधिकारी के कार्य ग्रहण, पूर्व में कार्यरत अधिकारी के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत होने की स्थिति में वैब पोर्टल का अपडेशन 5 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जावे।
  - ➢ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्वयं अवलोकन प्रपत्र को तीन दिवस के भीतर ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करे।
  - ➢ तीन या तीन से अधिक बार अवलोकित किए गए विद्यालयों में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जांए।
  - ➢ उक्त समस्त कार्यों का समन्वयन ब्लॉक गुणवत्ता, आरपी द्वारा किया जाएगा।

www.rajteachers.com

- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) स्तर से किये जाने वाले कार्य –
  - ➢ पीईईओ निर्धारित मापदण्डानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में अधीनस्थ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अवलोकन करेंगे।
  - ➢ शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु कक्षाओं में विद्यार्थियों के गुणवत्ता स्तर का आंकलन करेंगे।
  - ➢ विद्यालय विकास योजना का अवलोकन कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।
  - ➢ अवलोकन के दौरान प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सम्बलन प्रदान करेंगे।
  - ➢ उत्कृष्ट विद्यालय का अवलोकन, मार्गदर्शिका के अनुसार करेंगे।

4. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) हेतु अवलोकन निर्देश –

4.0 अकादमिक सम्बलन

4.1 SIQE अन्तर्गत कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया एवं बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन।
4.2 विद्यालय में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर शैक्षणिक गुणवत्ता जाच।
4.3 आधार रेखा मूल्यांकन के आधार पर स्तर निर्धारण की जाच।
4.4 कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्यवाही।
4.5 गृह कार्य जांच एवं प्रभावी शिक्षण विधियों (टीएलएम / गतिविधि आधारित शिक्षण / अन्य) का प्रयोग।
4.6 प्रत्येक कक्षा में अधिकतम छात्रों से संवाद करना (प्रश्न पूछना)।

5.0 मॉनिटरिंग (Monitoring)

5.1 विद्यालय परिक्षेत्र में नामांकन की समीक्षा एवं ड्रापआउट बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव।
5.2 विद्यालय कोष उपयोग राशि।
5.3 आंगनबाडी समन्वयन एवं प्रशासनिक नियंत्रण।
5.4 आधारभूत सुविधाओं हेतु SFC / FFC / मनरेगा आदि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत प्रस्ताव ब्लॉक / जिला स्तर को प्रेषित कर समन्वय स्थापित करना।
5.5 निशुल्क पाठ्यपुस्तक / शिक्षण सामग्री एवं छात्रवृत्ति का समय पर वितरण।
5.6 शिकायत पंजिका (अभिभावक शिकायत) का निरीक्षण एवं निस्तारण।

6.0 पर्यवेक्षण (Supervision)

6.1 मिड–डे–मिल गुणवत्ता जांच एवं रिकार्ड संधारण।
6.2 विद्यालय में एसएमसी बैठक का आयोजन।
6.3 पीटीएम (अध्यापक–अभिभावक मीटिंग) मीटिंग का समय पर आयोजन।

7.0 सामाजिक भागीदारी

7.1 विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (कक्षा कक्ष, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, रंग रोगन, खेल–मैदान हेतु भूमि आवंटन एवं विकास, चार दीवारी, पृथक–पृथक शौचालय आदि)
7.2 SMC व PTA मीटिंग में भाग लेकर चर्चा करना।
7.3 भामाशाह / दानदाताओं को विद्यालय में सहयोग हेतु प्रेरित करना।

www.rajteachers.com

7.4 विद्यालय विकास हेतु जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर सहयोग प्राप्त करना।
7.5 स्वैच्छिक विकास कोष हेतु जनसमुदाय को प्रेरित करना।

8.0 पोर्टल एवं विभागीय सूचनाएँ

8.1 शाला दर्शन/शाला सिद्धि/TAF/SMF आदि में प्रविष्टियों के अपडेशन की समीक्षा।
8.2 अन्य विभागीय सूचनाओं का सम्प्रेषण।

9.0 अन्य बिन्दु

9.1 समय समय पर विद्यालय मेले, जयन्तियां, पर्व एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करवाना।
9.2 कल्प लैब/कम्प्यूटर लैब/ पुस्तकालय एवं खेल सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना।
9.3 विद्यालय संचालन में आ रही कठिनाईयों का निस्तारण।
9.4 विद्यालय में संचालित सभी गतिविधियों का अवलोकन एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना।

10. अवलोकन पश्चात: –

- अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन प्रपत्र के सभी बिन्दुओं को सही तरह से भरा जावे। रिक्त रहने या गलत भरे जाने की स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- अवलोकनकर्ता द्वारा विद्यालय में पूर्व अवलोकनकर्ता द्वारा किये गये अवलोकन के समय प्रदत्त अवलोकन प्रपत्र में दिए गए सुझावों की अनुपालना की मॉनिटरिंग की जाए।
- विद्यालय अवलोकन के पश्चात बीईईओ/पीईईओ द्वारा अवलोकन प्रपत्र भरकर शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड किया जावे।
- जिन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के मासिक निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं होंगे उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला स्तर से की जावेगी एवं प्रति निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व आयुक्त राप्राशिप, जयपुर को प्रस्तुत की जावेगी।
- राप्राशिप जयपुर द्वारा विद्यालय अवलोकन हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें। जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी पूर्व की भांति विद्यालय अवलोकन करते रहेगें।

विद्यालय अवलोकन हेतु ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के लिए प्रति माह के मानदण्ड

क्र.स.	नाम अधिकारी	अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या
1	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	• पीईईओ के क्षेत्राधिकार से शेष विद्यालयों (शहरी क्षेत्र के विद्यालय) का सघनता से निरीक्षण। • ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के निरीक्षण का दायित्व भी रहेगा। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों का चिह्निकरण कर प्राथमिकता से अवलोकन किय जावे। • परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विद्यालय अवलोकन

www.rajteachers.com

2	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	• उत्कृष्ट विद्यालय का माह में एक बार अवलोकन • पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का दो माह में एक बार अवलोकन

निर्धारित संलग्न अवलोकन प्रपत्र में सूचना भरकर अवलोकनकर्ता अधिकारी (पीईईओ/बीईईओ) द्वारा ऑनलाइन फीडिंग करा देने के पश्चात ही विद्यालय अवलोकन माना जावेगा। अतः विद्यालय अवलोकन करने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र आवश्यक रूप से शाला दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन कराया जावे।

संलग्न – विद्यालय अवलोकन प्रपत्र

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/2017–18 2172 दिनांक : 30/5/17

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रामाशिप,जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप,जयपुर।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।
10. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssaquality@gmail.com Phone No. 0141-2701596

क्रमांकः–राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/2017–18/ 2169 दिनांक : 30/5/17

उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त सम्भाग।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।

विषय :– पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के संबंध में जारी विस्तृत दिशा–निर्देश।

संदर्भ :– राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.15 (1) प्रा.शि./2017/जयपुर/दिनांक 11.04.2017

उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की निम्नांकित भूमिका होगी –

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय का विकास उस पंचायत के आदर्श विद्यालय के मार्ग दर्शन (Mentorship) में किया जा रहा है। पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार क्रियान्वयन करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी के रूप में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की निम्नलिखित भूमिका होगी :–

- प्रत्येक माह में आवश्यक रूप से एक बार उत्कृष्ट विद्यालय का अवलोकन कर, निर्धारित अवलोकन प्रपत्र में रिपोर्ट शाला दर्शन पोर्टल पर अपलोड करना।
- उत्कृष्ट विद्यालय को अकादमिक सहयोग देने हेतु आदर्श विद्यालय, ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध मानवीय संसाधनों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना।
- सीसीई/एसआईक्यूई (SIQE) की समीक्षात्मक बैठकों एवं कार्यशालाओं में सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श विद्यालय की मैन्टरशिप प्रदान करना।
- पंचायत समिति स्तरीय समीक्षा बैठक में आदर्श विद्यालय के साथ–साथ उत्कृष्ट विद्यालय की कार्ययोजना की प्रगति को प्रस्तुत करना।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माह में एक बार शिक्षकों के कक्षा शिक्षण का अवलोकन कर वांछित सुधार हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशों/सुझावों की सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा पालना नहीं की जा रही है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान/शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित नियंत्रण अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) को भिजवाने हेतु अधिकृत होंगे।

www.rajteachers.com

- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आदर्श विद्यालय एवं उत्कृष्ट विद्यालय के प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकगण की माह में एक बैठक PEEO से सम्बद्व विद्यालय में आयोजित कर शिक्षण प्रकिया पर विचार विमर्श किया जाना।
- उत्कृष्ट विद्यालय हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने एवं लागू करने में सम्बन्धित संस्था प्रधान को सहायता प्रदान करना।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

कमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017-18 2170 दिनांक 30/5/17
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रमाशिप,जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रमाशिप,जयपुर।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए, समस्त जिले।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए, समस्त जिले।
10. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

(पी.सी. किशन)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

www.rajteachers.com